न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां

निर्णय व इजलास– श्री राम सिंह गुर्जर (RAS)
प्रकरण संख्या 105 / 2025
दायरा दिनांकः– 9.12.25
निर्णय दिनांकः– 9.12.25

राजस्थान सरकार बनाम श्रीलाल वगै.

आदेश

तहसीलदार छबडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व सपठित नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) 1957 मय दस्तावेजात नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट, पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार की अभिशंषा सहित इस आशय का पेश किया कि ग्राम राहरोन पटवार हल्का बापचा तहसील छबडा के खसरा नं. 240/183, 183/3, 209/183, 238/183, 184, 190/2, 190, 211/190, 234/210, 212/190 मे मौके पर रास्ता चालू है, परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे मे उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। मौके पर रास्ता सार्वजनिक रूप से उपयोग मे लिया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, भू.–अभिलेख निरीक्षक, तहसीलदार रिपोर्ट एवं दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के निर्देशानुसार तहसीलदार छबडा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार छबडा को निर्देशित किया जाता है कि रिपोर्ट अनुसार ग्राम राहरोन पटवार हल्का बापचा तहसील छबडा के खसरा नं. 240/183, 183/3, 209/183, 238/183, 184, 190/2, 190, 211/190, 234/210, 212/190 मे से मौके पर चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ता सम्बन्धित खातेदार की खातेदारी मे रखते हुये नक्शे व जमाबंदी मे पृथक से खसरा नम्बर दिया जावे व रास्ते के रकबे सहित किस्म गै. मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 9.12.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)